न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
8/2016	17.06.2016	15.05.2017

पीठासीन अधिकारी – संजीव कुमार शर्मा (आर.ए.एस.)
राजस्व लोक अदालत केम्प पीपल्दा कला

उनवान

1– वक्फ कमेटी पीपल्दा जरिये सदर सुन्नी जमात अहसान मोहम्मद पुत्र इदरीस मोहम्म जाति मुसलमान निवासी पीपल्दा जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(अप्रार्थी)

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया है:–

1– यह कि सुन्नी मुस्लिम जमात का कदीमी मस्जिद व कब्रिस्तान ग्राम पीपल्दा के पुरा खसरा नम्बर 386 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर मस्जिद व पुराने खसरा नम्बर 36 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा पर कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। जो कुल किता 2 कुल रकबा बीघा वाके पीपल्दा में स्थित है। जिसकी पुि ट नकल जमाबन्दी सम्वत 2027– 203 व नकल जमाबन्दी सम्वत 2031 से 2034 से बखूबी होती है।

2– यह कि पूर्व खसरा नम्बर 386 की रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा पर एक पुरानी व कदीमी मस्जिद भी बनी हुई है।

3– यह कि पूर्व खसरा नमबर 360 की रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा से कब्रिस्तान है जहां प सुन्नी मुस्लिम सम्प्रदाय के व्यक्ति अपने मुर्दो को दफनाने का काम लगातार ग 45–50 वर्षो से करते चले आ रहे है। तथा मौजूदा समय में भी करते है व वहां प भौतिक रूप से कब्रे बनी हुई है।

4– यह कि दौराने सेटलमेन्ट ऑपरेशन सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों ने पूर्व खसरा नम्बर 386 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा मस्जिद के बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नमबर 634 रकबा 0.36 हैक्टर कायम किये किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा घोर लापरवाही पूर्वक कृत्य करते हुए अपने अधिकार सीमाओं से परे जाते हुए बिना

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

किसी सक्षम आदेश के गैर कानूनी तरीके से नवीन खसरा नम्बर 634 रकबा 0.36 हे0 को सिवाई चक बिना लगानी दर्ज कर दिया जो कतई गलत व गैर कानूनी है तथा प्रार्थी उक्त सेटलमेन्ट की त्रुटियों को सही करवाने का अधिकारी है तथा खसरा नम्बर 634 रकबा 0.36 है0 वाके पीपल्दा पर सिवाईचक विलोपित करते हुए मस्जिद दर्ज करवाने का अधिकारी है।

5– यह कि इसी प्रकार दौराने सेटलमेन्ट ऑपरेशन सेटलमेन्ट अधिकारी व कर्मचारियों ने पूर्व खसरा नम्बर 360 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि कब्रिस्तान दर्ज है। जिस पर लापरवाही पूर्वक व गैर कानूनी कृत्य करते हुए पूर्व खसरा नम्बर 360 के बाद सेटलमेन्ट कोई भी नवीन खसरा नम्बर नहीं कायम किये गये जिसकी पुष्टि मिलान क्षेत्रफल में नकल के आवेदन पेश करने व उक्त आवेदन को पूर्व खसरा नम्बर 360 का अस्तित्व नहीं होने के कारण तहसील कार्यालय से खारिज करने से होती है। जबकि मौका स्थिति के अनुसार पूर्व खसरा नमबर 360 अभी नवीन खसरा नम्बर 593 रकबा 0.68 है0 बैठती है किन्तु सेटलमेन्ट अधिकारी ने गलती के कारण उसे भी सिवाई चक व गैर मुमकिन शामशान दर्ज कर दिया है। जो कतई गलत व गैर कानूनी है यदि हम उक्त नीवन खसरा नम्बर 593 रकबा 0.68 है0 का मुआयना भौतिक व वास्तविक मौका स्थिति के अनुसार करते हे तो उक्त खसरा नम्बर 593 पर मोजूदा समय से सुन्नत जमात पीपल्दा का कदीमी कब्रिस्तान बना हुआ है तथा जहां आज भी मुर्दो को दफन करने का काम बदस्तुर जारी है। तथा प्रार्थी उक्त सेटलमेन्ट के त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 593 रकबा 0.68 हैक्टर वाके पीपल्दा को भौतिक स्थिति अनुसार कब्रिस्तान दर्ज करवाने का अधिकारी है।

6– यह कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त सेटलमेन्ट त्रुटि को सही करने बावत कई बार लिखित व मे रिपोर्ट देकर व मौखिक रूप से निवेदन किया जा चुका है किन्तु अभी दिनांक 20.04.2016 को अप्रार्थी द्वारा उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया।

7– यह कि उक्त खसरा नम्बर सिवाई चक व शमशान होने के कारण अन्य व्यक्ति अतिक्रमण करने पर हरचन्द उतारू है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए खसरा नम्बर 634 की रकबा 0.36 है0 वाके पीपल्दा पर सिवाई चक को विलोपित करते हुए मस्जिद (कब्रिस्तान) दर्ज किया जावे। भौतिक व मौके की स्थिति के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 593 की रकबा 0.68 हैक्टर वाके पीपल्दा पर गैर मुमकिन शमशान को विलोपित करते हुए कब्रिस्तान दर्ज किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिये सम्मन की गई अप्रार्थी की ओर से जवाब सरकार प्राप्त किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली आज दिनांक 15.05.2017 को पेश है। प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रकरण में जवाब सरकार का अवलोकन किया गया। जवाब सरकार में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें वर्तमान जमाबन्दी संवत 2070–73 में खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 344 व 332 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जवाब सरकार में स्पष्ट किया है कि उक्त खसरा नम्बर पर कब्रें बनी हुई है व कुछ

उपखण्ड अधिकारी

न बने हुए है। जवाब सरकार में विवादित आराजी पर कब्रिस्तान दर्ज किये जाने की भिशंषा की है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं जवाब सरकार का अवलोकन करने पर प्रार्थी का ार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि खसरा नम्बर 634 की रकबा 0.36 है0 वाके पीपल्दा में र्ज सिवाई चक को विलोपित करते हुए मस्जिद (कब्रिस्तान) दर्ज किया जावे एव खसरा म्बर 593 की रकबा 0.68 हैक्टर वाके पीपल्दा पर गैर मुमकिन शमशान को विलोपित करते ए कब्रिस्तान दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में जमेआम मे सुनाया गया

(संजीव कुमार शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा